

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1322 / 2025

दिनांक 29.03.2025

श्री विरेन्द्र कुमार जसूजा (RJ00326), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-01, जयपुर महानगर-प्रथम को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

- दिनांक 07.04.2025 से 09.04.2025 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 06.04.2025 एवं 10.04.2025 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।
- दिनांक 15.04.2025 से 17.04.2025 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 12.04.2025 से 14.04.2025 एवं 18.04.2025 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री जसूजा की अनुपस्थिति में न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-02, जयपुर जिला, जयपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-01, जयपुर महानगर-प्रथम के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से
10/2/25
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/31/2000/

दिनांक : 29.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-01, जयपुर महानगर-प्रथम को उनके पत्रांक 79/80 दिनांक 07.03.2025 के सन्दर्भ में।
- श्री विरेन्द्र कुमार जसूजा (RJ00326), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-01, जयपुर महानगर-प्रथम।
- न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय कम-02, जयपुर जिला, जयपुर।

सहायक रजिस्ट्रार
29/03/25